न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश विश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 03/2021

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. मो. अनीश पुत्र मो. रफीक जाति मुसलमान निवासी कल्याणपुरा मार्ग नं. 2 बाड़मेर (मैसर्स राजसरोवर कैफे स्टेशन रोड बाड़मेर का मैनेजर)
2. मो. रफीक पुत्र हाजी सुलेमान जाति मुसलमान निवासी कल्याणपुरा मार्ग नं. 2 बाड़मेर (मैसर्स राजसरोवर कैफे स्टेशन रोड बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री संजय कुमार सोनी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 16.08.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी ने दौराने गश्त दिनांक **05.11.2020** को अप्रार्थीगण की फर्म **मैसर्स राजसरोवर कैफे स्टेशन रोड बाड़मेर** में चैक करने पर खाद्य पदार्थ **कुल्फी (दूध एवं शक्कर निर्मित)** एक फ्रीज में रखी हुई पाई ग[illegible]लावट का होने के शक पर नियमानुसार **60 एमएल के** [illegible] **शक्कर निर्मित)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर [illegible] कर इसकी [illegible] खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 [illegible] जाने हेतु प्रपत्र-[illegible] भरकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:00:42 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **कुल्फी (दूध एवं शक्कर निर्मित)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **कुल्फी (दूध एवं शक्कर निर्मित)** का नमूना **अवमानक (Sub-standard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रथमतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी योग्यता धारक नहीं है तथा पूर्व में भी माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा की नियुक्ति को अवैध माना जा चुका है। ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थों के सैम्पल लेने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 मो. अनीस उक्त फर्म का मैनेजर नहीं है। जिस समय उपर्यक्त कार्यवाही किया जाना अभिकथित किया गया है उस समय अप्रार्थी संख्या 1 मौके पर उपस्थित नहीं था एवं प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की सैम्पलिंग की कार्यवाही नहीं की है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त कार्यवाही ड्रॉप किया जाना न्यायोचित है।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थीगण की फर्म से लिये गये खाद्य पदार्थ नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 07.12.2020 में उक्त नमूना **अवमानक (Sub-standard)** खाद्य का पाया गया है। इस पर अप्रार्थीगण को पदाभिहीत अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर जवाब किया गया इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया, जिस पर उसके अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षण के रूप में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:00:42 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

बल्कि प्रार्थी द्वारा की गई सैम्पलिंग कार्यवाही की प्रक्रिया एवं प्रार्थी की योग्यता के बारे में निराधार उजर प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ के लिये गये नमूना की जांच रिपोर्ट अनुसार Milk Fat मानक स्तर 10% के मुकाबले में 8.9% पाया गया है जो कि मानक स्तर से कम होना पाया गया है। इस प्रकार खाद्य पदार्थों की मानकता के स्तर का नहीं होने से उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण का है। अप्रार्थीगण की फर्म से विक्रय के आशय से रखे गये खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना अवमानक पाये जाने के तथ्य का कोई ठोस एवं विधिसम्मत जवाब नहीं है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से अपराध की गम्भीरता को देखते हुए **रूपये 10,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक **16.08.2021** को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओम प्रकाश विश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:00:42 IST
Reason: SelfAttested